ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट न0–1, सैक्टर–नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा सिटी

प्रेस विज्ञप्ति

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र में उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत सभी पंजीकृत Apartment Owner Association (A.O.A.) एवं पंजीकृत रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन्स (R.W.A.) द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शासन प्रणाली में जन भागीदारी के लिये मान्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। उक्त के सम्बन्ध में पत्रांक–ग्रे0नो0 / अ0मु0का0अ0(का0आ0) / 2020 / 350 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से पंजीकृत आवेदक अपना आवेदन पत्र केवल **Email-id:- wsurbanservices@gnida.in** के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित दिनांक 25.04.2020 थी ।

वर्तमान में कोविड–19 महामारी बीमारी फेलने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा घोषित किये गये Lock Down को मद्देनजर रखते हुए ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र में उ0 प्र0 अपार्टमेंट एक्ट के अन्तर्गत सभी पंजीकृत अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA), रेजीडेंटस वेलफेयर एसोशिएशन (RWA) एवं को–ऑपरेकटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज (CGHS) द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से शासन प्रणाली में जन भागीदारी के लिये मान्यता प्राप्त करने के लिये अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में **Email-id- wsurbanservices@gnida.in** पर मेल के माध्यम से दिनांक 15.06.2020 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसी भी आवंटी / उप आवंटी को आपत्ति होती है तो उसका निस्तारण दिनांक 15.06.2020 के उपरान्त ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 15 दिन की अवधि के अन्दर किया जायेगा । किसी भी वाद की स्थिति में वाद क्षेत्र जिला गौतमबुद्धनगर एवं उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत निस्तारण किया जायेगा ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी